भाग II

अध्याय 4

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)

प्रस्तावना

4.1 31 मार्च 2018 को 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (रा.सा.क्षे.उ.) थे, जो विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। 1966-67 से 2017-18 के दौरान शामिल किए गए इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 25 सरकारी कंपनियां और दो सांविधिक निगम[1] शामिल थे। सरकारी कंपनियों में सरकारी कंपनियों के स्वामित्व वाली दो[2] सहायक कंपनियां और चार[3] निष्क्रिय कंपनियां शामिल थीं। चार[4] सरकारी कंपनियों ने 31 मार्च 2018 तक व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

राज्य सरकार समय-समय पर इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, राज्य सरकार ने केवल 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निधियों का निवेश किया। शेष छः संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों की इक्विटी में संबंधित सह-भागीदार/होल्डिंग कंपनियों द्वारा योगदान दिया गया था।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई तालिका में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और हरियाणा के स.रा.घ.उ. के टर्नओवर का विवरण दिया गया है:

तालिका 4.1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं हरियाणा स.रा.घ.उ.के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	3,006.57	8,891.35	4,633.78	4,100.32	4,564.52
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	3,95,747.73	4,41,864.26	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73
टर्नओवर के विरूद्ध हरियाणा का स.रा.घ.उ. का प्रतिशत	0.76	2.01	0.94	0.94	0.75

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई सूचना के अनुसार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और स.रा.घ.उ. के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर संकलित।

1 हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम।

2 हारट्रोन इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड को हारट्रोन की सहायक कंपनी के रूप में निगमित (8 मार्च 1995) किया गया और पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड को एच.एस.आई.आई.डी.सी. की सहायक कंपनी के रूप में निगमित (27 दिसंबर 2016) किया गया।

3 हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम, हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड ने क्रमशः 2002-03, 2001-02, 1997-98 और 2002-03 से अपने परिचालनों को बंद कर दिया।

4 हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड।

संबंधित वर्षों में उपलब्ध उनके नवीनतम लेखापरीक्षा लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का टर्नओवर पूर्ववर्ती वर्ष में दर्ज टर्नओवर की तुलना में 2013-14, 2014-15 और 2017-18 के दौरान बढ़ा। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) द्वारा लेखाओं की तैयारी नकद आधार से बदलकर संग्रहण आधार पर करने के कारण वर्ष 2014-15 में टर्नओवर में वृद्धि हुई है। 2013-18 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि दर 11.32 प्रतिशत और 195.73 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के स.रा.घ.उ. में वृद्धि दर 11.50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 11.67 प्रतिशत रही। मिश्रित वार्षिक वृद्धि विभिन्न समयावधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। स.रा.घ.उ. की 11.67 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में इन उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 16.49 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। स.रा.घ.उ. की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी में मामूली सी कमी हुई थी, जो कि 2013-14 में 0.76 प्रतिशत एवं 2017-18 में 0.75 प्रतिशत थी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

4.3 सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम हैं जो कुछ निश्चित सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साधन के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करते हैं। इसलिए इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति को दो प्रमुख वर्गीकरणों के तहत विभाजित और विश्लेषण किया गया है अर्थात् सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले और प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाले। इसके अतिरिक्त, इनमें से पांच[5] सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए शामिल किए गए थे, उन्हें अन्य के तहत वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2018 तक इन 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी के रूप में निवेश का विवरण और दीर्घकालिक ऋण ***परिशिष्ट-5*** में विस्तृत हैं।

4.4 31 मार्च 2018 तक इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया हैः

तालिका 4.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सेक्टर वार निवेश

सेक्टर	सा.क्षे.उ. की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
सामाजिक सेक्टर	9	136.97	149.85	286.82
प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सा.क्षे.उ.	13	491.84	5,277.91	5,769.75
अन्य	5	45.75	337.50	383.25
कुल	**27**	**674.56**	**5,765.26**	**6,439.82**

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

[5] हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को पुलिस विभाग के भवन निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग कार्य करने के लिए निगमित किया गया; हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को हरियाणा में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं को लागू करने के लिए निगमित किया गया था; हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निगमित किया गया; हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड को हरियाणा रोडवेज के लिए बस बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप के रूप में निगमित किया गया; हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना और कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया।

31 मार्च 2018 तक इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 6,439.82 करोड़ था। निवेश में इक्विटी के लिए 10.47 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण में 89.53 प्रतिशत शामिल थे। इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए दीर्घकालिक ऋणों में से, राज्य सरकार के ऋण केवल 0.04 प्रतिशत (₹ 2.37 करोड़) थे।

निवेश में 88.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवेश 2013-14 में ₹ 3,413.28 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 6,439.82 करोड़ हो गया। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से बकाया दीर्घकालिक ऋणों में ₹ 2,832.57 करोड़ से ₹ 5,765.26 करोड़ की वृद्धि के कारण निवेश में वृद्धि हुई। बकाया ऋणों में हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का हिस्सा ₹ 5,274.22 करोड़ था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

4.5 वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता

4.6 हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/परिदान, बट्टे खाते ऋण, और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण बजटीय विवरणों का सारांश विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका 4.3: वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[6]	2015-16		2016-17		2017-18	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
इक्विटी कैपिटल निर्गम (i)	5	19.11	2	3.10	4	7.71
दिए गए ऋण (ii)	0	0	0	0	0	0
प्रदान की गई अनुदान/परिदान (iii)	9	161.55	8	445.08	9	188.60
कुल निर्गम (i+ii+iii)		**180.66**		**448.18**		**196.31**
बट्टे खाते ऋण चुकौती	-	-	1	81.24	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटियाँ	3	575.64	3	677.62	3	2,030.52
गारंटी प्रतिबद्धता	5	974.49	5	1,084.36	5	3,351.48

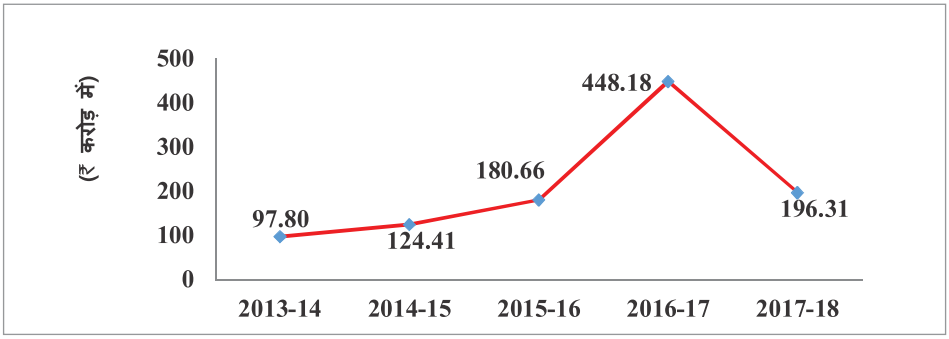
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और

[6] राशि केवल राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

अनुदान/परिदान के लिए बजटीय विवरण नीचे ग्राफ़ में दिए गए हैं:

चार्ट 4.1: इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के लिए बजटीय निर्गम



2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 97.80 करोड़ और ₹ 448.18 करोड़ के मध्य रही। वर्ष 2017-18 के दौरान दिए गए ₹ 196.31 करोड़ की बजटीय सहायता इक्विटी और अनुदान/परिदान के रूप में शामिल है। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोई ऋण सहायता प्रदान नहीं की। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली परिदान/अनुदान मुख्य रूप से ऋण माफी और प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रदान किया जाना था।

हरियाणा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए गारंटी प्रदान करता है। राज्य सरकार 1 अगस्त, 2001 से बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण पर 0.125 प्रतिशत से दो प्रतिशत की दर से गारंटी फीस प्रभारित करती है। बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं में 573.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बकाया गारंटी प्रतिबद्धताएं 2013-14 में ₹ 497.38 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 3,351.48 करोड़ हो गई थीं। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 6.02 करोड़ के गारंटी कमीशन का भुगतान दो[7] सा.क्षे.उ. द्वारा किया गया था।

हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

4.7 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटी के आंकड़े हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों से मेल होने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त विभाग को इस अंतर को दूर करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 को इसकी स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.4: हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण, बकाया गारंटी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	587.68	563.15	24.48
ऋण	183.09	216.54	33.45
गारंटी	2,843.71	3,351.48	507.77

स्रोत: सा.क्षे.उ. और राज्य वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

[7] हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा पुलिस आवास निगम।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 12 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इस तरह के अंतर पाए गए हैं जैसा कि ***परिशिष्ट-6*** में दर्शाया गया है। आंकड़ों के मध्य ये अंतर पिछले कई सालों से जारी है। अंतर दूर करने का मुद्दा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और उनके प्रशासनिक विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया है। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी) के बकायों में बड़ा अंतर देखा गया है। आंकड़ों का मिलान न होने से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी और चोरी भी हो सकती है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अपने अंतर को दूर करना चाहिए।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

4.8 31 मार्च 2018 तक इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 23 कार्यरत (21 कंपनियां और दो सांविधिक निगम) हैं और चार निष्क्रिय हैं। उनके लेखाओं की तैयारी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित समय-सीमा की स्थिति नीचे दी गई है:

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.1 वर्ष 2017-18 के लिए 30 सितंबर 2018 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। तथापि, वर्ष 2017-18 के लिए 21 कार्यरत कंपनियों में से केवल तीन कंपनियों ने 30 सितंबर 2018 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के समक्ष लेखापरीक्षा के लिए अपने खाते प्रस्तुत किए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य के दोनों सांविधिक निगमों का एकमात्र लेखापरीक्षक नहीं है। वर्ष 2017-18 के लिए 30 सितंबर 2018 तक दोनों सांविधिक निगमों के लेखाओं की प्रतीक्षा की गई थी।

30 सितंबर 2018 तक कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	18	20	19	21	23
2.	वर्तमान वर्ष के दौरान जमा किए गए लेखाओं की संख्या	16	17	19	14	27
3.	वर्तमान वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	1	1	1	1	3
4.	वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिनको अंतिम रूप दिया गया	15	16	18	13	24
5.	लेखाओं में बकाया राशि के साथ कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	17	19	18	20	20
6.	बकाया में लेखाओं की संख्या	33	34	35	43	38
7.	बकाया राशि (वर्षों की संख्या)	1-4	1-5	1-5	1-5	1-4

स्रोत: 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित।

1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 तक की अवधि के दौरान इन 23 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 19 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अपने 27 वार्षिक लेखाओं (वर्ष 2017-18 के लिए 3 वार्षिक लेखे और पिछले वर्षों के 24 वार्षिक लेखे) को अंतिम रूप दिया। इसके अतिरिक्त, 20 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित 38 वार्षिक लेखे बकाया थे। प्रशासनिक विभागों के पास इन संस्थाओं की गतिविधियों की देख-रेख करने एवं यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए एवं अपनाया जाए। लेखाओं को अंतिम रूप देने में बकाया के बारे में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा संबंधित विभागों को तिमाही सूचना दी गई थी।

हरियाणा सरकार ने 21 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से नौ को ₹ 635.16 करोड़ (इक्विटी ₹ 27.03 करोड़, अनुदान/परिदान: ₹ 608.13 करोड़) प्रदान किए थे, जिन्हें 30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. वार निवेश का ब्योरा, जिसके लेखें बकाया में हैं ***परिशिष्ट-7*** में दर्शाया गया है। तथापि, अक्तूबर 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान 10 में से नौ कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया, जबकि दिसंबर 2018 तक 20 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित 28 लेखाओं की प्रतीक्षा की गई।

शेष सा.क्षे.उ. में लेखाओं को अंतिम रूप देने में और उसके बाद उनके लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि निवेश और व्यय का सही हिसाब लगाया गया था या नहीं तथा जिस उद्देश्य से राशि का निवेश किया गया था, उसे प्राप्त किया गया था या नहीं। इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार निवेश करती है जिसके परिणामस्वरूप राज्य विधानमंडल के निरीक्षण से यह बाहर रहा।

निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.2 चार निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में से, दो सा.क्षे.उ. अर्थात् हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड और हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड परिसमापन के अधीन थे। शेष दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना बकाया था, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.6: 30 सितंबर 2018 को निष्क्रिय सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखाओं के बकाया की स्थिति

क्र.सं.	निष्क्रिय कंपनियों का नाम	अवधि जिसके लिए लेखाओं में बकाया था
1.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2017-18
2.	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2017-18

स्रोत: अक्तूबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित।

चूँकि हरियाणा खनिज लिमिटेड के लेखे प्राप्त किए गए हैं और उनकी लेखापरीक्षा भी की गई है तथा दिसंबर 2018 तक हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम के लेखाओं की प्रतीक्षा की जा रही थी।

राज्य विधानमंडल में सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

4.9 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखी जानी है। 2017-18 के लिए 30 सितंबर 2018 तक दोनों सांविधिक निगमों के लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त नहीं किया गया था।

सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं और विधानमंडल में उनके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.7: सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति

निगम का नाम	लेखा वर्ष	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का माह
हरियाणा वित्तीय निगम	2016-17	फरवरी 2019
हरियाणा राज्य भंडारण निगम	2015-16	फरवरी 2019
	2016-17	अभी रखे जाने हैं

स्रोत: सा.क्षे.उ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर संकलित।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

4.10 जैसा कि अनुच्छेद 4.8.1 में बताया गया है, लेखाओं को अंतिम रूप देने में देरी के कारण संबंधित सांविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। लेखाओं की बकाया राशि की स्थिति को देखते हुए, वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वास्तविक योगदान का पता नहीं लगाया जा सका है और राजकोष में उनके योगदान की सूचना भी राज्य विधानसभा को नहीं दी जा सकी।

इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि लेखाओं में बकाया को कम करने के लिए प्रशासनिक विभाग को कड़ाई से निगरानी करनी चाहिए और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी गौर करे और लेखाओं में बकाया को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

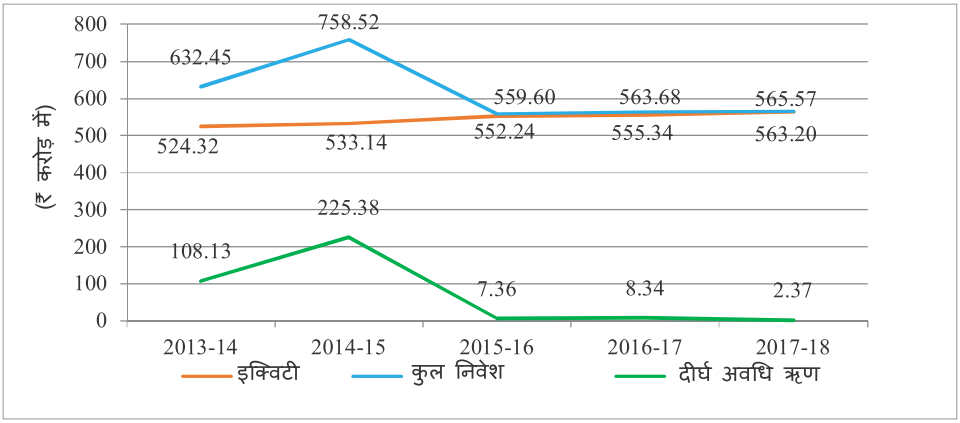
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

4.11 30 सितंबर 2018 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम ***परिशिष्ट-8*** में विस्तृत है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर उचित लाभ देंगे। 31 मार्च 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की राशि ₹ 6,439.82 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 674.56 करोड़ और दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 5,765.26 करोड़ शामिल थे। इसमें से, राज्य सरकार ने ₹ 565.57 करोड़ (इक्विटी: ₹ 563.20 करोड़ और दीर्घावधि ऋण: ₹ 2.37 करोड़) का निवेश किया था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

चार्ट 4.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार का कुल निवेश

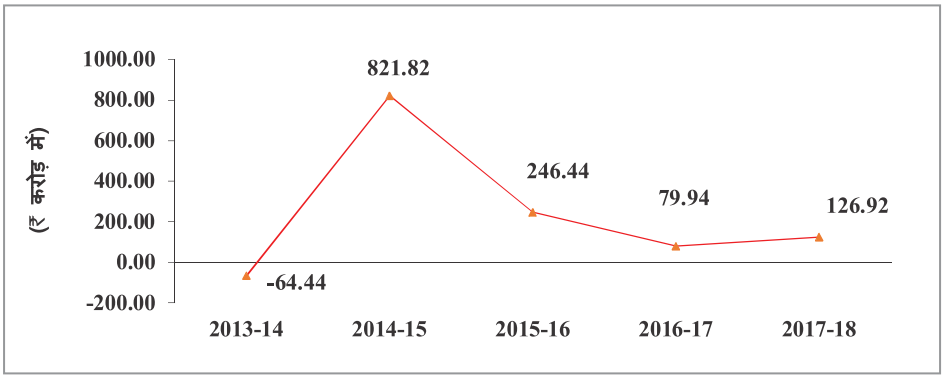


4.12 किसी कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन परंपरागत रूप से निवेश पर आय, इक्विटी पर लाभ और नियोजित पूँजी पर लाभ द्वारा आकलित किया जाता है। निवेश पर आय निर्धारित वर्ष में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण (केवल ब्याज मुक्त ऋण) के रूप में निवेश की गई धनराशि से संबंधित लाभ या हानि को मापता है और कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। इक्विटी पर लाभ, कर के बाद निवल लाभ को शेयरधारक फंड द्वारा विभाजित करके ज्ञात किया गया निष्पादन माप है। नियोजित पूंजी पर लाभ एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ इस पूंजी का उपयोग किया जाता है तथा इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर आय

4.13 निवेश पर आय कुल निवेश पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/हानि[8] की समग्र स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 4.3: वर्षों के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/हानि



[8] आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार हैं।

2013-14 में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए गए ₹ 64.44 करोड़ की हानि की तुलना में उन्होंने 2017-18 में ₹ 126.92 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2014-15 में लाभ में हुई वृद्धि एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा तैयार किए गए लेखाओं में नकद आधार को अर्जित आधार से परिवर्तित करने के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 1119.64 करोड़ का लाभ हुआ। 21[9] कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार, 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने ₹ 139.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया था और सात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ₹ 12.29 करोड़ की हानि हुई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-8*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 92.24 करोड़) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (₹ 28.64 करोड़) शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियां थीं। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड (₹ 5.75 करोड़) और हरियाणा वित्तीय निगम (₹ 3.84 करोड़) को हानि हुई।

2013-14 से 2017-18 के दौरान 31 मार्च 2018 को 21 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से लाभ/हानि अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.8: कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विवरण जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित किया

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या[10]	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान हानि उठाई	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान मार्जिनल लाभ/हानि उठाई
2013-14	18	14	2	2
2014-15	18	14	4	-
2015-16	18	12	6	-
2016-17	18	11	7	-
2017-18	21	14	7	-

(क) ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर आय

4.14 राज्य सरकार ने राज्य के 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, दीर्घावधि ऋण और अनुदान/परिदान के रूप में निधियों का उपयोग किया था। सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 565.57 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 563.20 करोड़ की इक्विटी और ₹ 2.37 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

निवेश पर आय की गणना हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी और ऋण के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा प्रदान किए ऋण की प्रवृति इक्विटी निवेश की है, सिवाय उन ऋण अदायगी के जिन्हें नियमों और शर्तों के अनुसार चुकाया जाना है। ₹ 2.37 करोड़ के सभी दीर्घावधि ऋण ब्याज देने वाले ऋण हैं और कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं। इस प्रकार, ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 563.20 करोड़[11] था, जो

9 दो कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अपने प्रथम लेखे जमा नहीं किए।

10 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या जिन्होंने लेखाओं को अंतिम रूप दिया।

11 ₹ 2.37 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों को लेखे में नहीं लिया गया है, जो ब्याज वाले ऋण हैं और ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं।

तालिका 4.9 में विस्तृत रूप से दिया गया है। अनुदान/परिदान के रूप में उपलब्ध धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश माने जाने योग्य नहीं हैं।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.9: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय

वर्ष वार क्षेत्रवार ब्रेक-अप	वर्ष के दौरान कुल कमाई	हरियाणा सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश की गई धनराशि	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय (%)
2013-14			
सामाजिक क्षेत्र	-189.81	83.90	-226.23
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	93.85	408.31	22.98
अन्य	2.31	32.11	7.19
कुल	**-93.65**	**524.32**	**-17.86**
2014-15			
सामाजिक क्षेत्र	-12.51	86.09	-14.53
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	804.52	409.94	196.25
अन्य	13.81	37.11	37.21
कुल	**805.82**	**533.14**	**151.15**
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	-21.95	100.33	-21.88
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	256.98	414.75	61.96
अन्य	2.58	37.16	6.94
कुल	**237.61**	**552.24**	**43.03**
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	-65.19	102.49	-63.60
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	136.25	415.68	32.78
अन्य	0.53	37.16	1.43
कुल	**71.59**	**555.33**	**12.89**
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	22.01	104.99	20.96
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	92.52	416.87	22.19
अन्य	1.76	41.34	4.26
कुल	**116.29**	**563.20**	**20.65**

राज्य सरकार के निवेश पर आय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल कमाई[12] को राज्य सरकार के निवेश की लागत से विभाजित करके निकाला जाता है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित आय - 17.86 प्रतिशत और 151.15 प्रतिशत के मध्य रही। 2016-17 की अवधि की तुलना में 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर आय में सुधार मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में एच.एस.आई.आई.डी.सी. तथा सामाजिक क्षेत्र में हरियाणा राज्य भंडारण निगम के लाभ में वृद्धि के कारण हुआ है। 2017-18 में दर्ज की गई कुल आय ₹ 116.29 करोड़ में एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने ₹ 92.24 करोड़ का योगदान दिया जबकि हरियाणा सरकार का निवेश केवल ₹ 48.85 करोड़ रहा। आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रतिस्पर्धात्मक

[12] इसमें उन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निवल लाभ/हानि शामिल हैं, जहां संबंधित वर्ष के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।

क्षेत्र में राज्य सरकार के निवेश पर आय ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम के लाभ में वृद्धि के कारण प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से आय 2013-14 में 22.98 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 196.25 प्रतिशत हो गई। इस क्षेत्र में 2015-16 (61.96 प्रतिशत), 2016-17 (32.78 प्रतिशत) और 2017-18 (22.19 प्रतिशत) के दौरान आय में कमी दर्ज की गई लेकिन इसका समग्र योगदान अधिकतम था।

(ख) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर आय

4.15 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में, जहां राज्य सरकार द्वारा निधियाँ लगाई गई थी, उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए उनकी आय एवं निवेश का विश्लेषण किया गया। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर आय की पारंपरिक गणना आय की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। राज्य के क्षेत्र मों में हरियाणा सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की तुलना में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आय की दर का आकलन करने के लिए सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 31 मार्च 2018 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार के सरकारी निवेशों में पिछले निवेश/वर्ष-वार धनराशि को सरकारी ऋण पर ब्याज की वार्षिक औसत दर पर संयोजित किया गया है, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार के लिए धन की न्यूनतम लागत माना जाता है। इसलिए, इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक उन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध जहां इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा धन लगाया गया था, राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना की गई। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 2014-15 से 2017-18 के दौरान निवेश पर सकारात्मक लाभ हुआ। इसलिए इन चार वर्षों के लिए निवेश पर आय की गणना की गई है और पी.वी. के आधार पर दर्शाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- अनुदान/परिदान के रूप में उपलब्ध धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि पैरा 4.6 में इंगित परिदान की प्रकृति के आधार पर वे निवेश के रूप में माने जाने योग्य नही हैं।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[13] के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए संयोजित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा किए गए खर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर आय की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

[13] सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हरियाणा सरकार) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से ली गई थी जिसमें भुगतान किए गए ब्याज के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100 के द्वारा परिकलित की गई।

वर्ष 2013-14 में जब ये 21 कंपनियां घाटे में रही, तो घाटे के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त उपाय है। पैरा 4.18 में कंपनी के निवल के क्षरण पर टिप्पणी की गई है।

4.16 1999-2000 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी के रूप में इन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार स्थिति ***परिशिष्ट-9*** में दर्शाई गई है। आगे, इसी अवधि के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के एन.पी.वी. की समेकित स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.10: राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण तथा 1999-2000 से 2017-18 की अवधि के लिए सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (पी.वी.)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष[14] के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित आय	वर्ष[15] के लिए कुल अर्जन
I	Ii	iii	Iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii∗(1+vi)/100}	ix={vii∗vi)/100}	X
1999-2000 तक	-	164.22	-	164.22	12.05	164.22	184.01	19.79	8.96
2000-01	184.01	45.48	-	45.48	11.40	229.49	255.65	26.16	-0.22
2001-02	255.65	21.04	-	21.04	10.50	276.69	305.74	29.05	7.83
2002-03	305.74	28.04	-	28.04	10.74	333.78	369.63	35.85	10.22
2003-04	369.63	11.51	-	11.51	10.20	381.14	420.02	38.88	-2.92
2004-05	420.02	2.48	-	2.48	8.49	422.50	458.37	35.87	2.84
2005-06	458.37	57.78	-	57.78	8.95	516.15	562.34	46.20	49.76
2006-07	562.34	12.16	-	12.16	9.20	574.50	627.36	52.85	-25.97
2007-08	627.36	72.07	-	72.07	7.43	699.43	751.39	51.97	-81.43
2008-09	751.39	95.92	-	95.92	7.82	847.31	913.57	66.26	176.34
2009-10	913.57	4.98	-	4.98	9.29	918.55	1,003.89	85.33	54.25
2010-11	1,003.89	6.41	-	6.41	9.22	1,010.30	1,103.45	93.15	138.45
2011-12	1,103.45	21.28	-	21.28	9.73	1,124.73	1,234.16	109.44	98.15
2012-13	1,234.16	-21.98	-	-21.98	9.86	1,212.18	1,331.70	119.52	123.25
2013-14	1,331.70	2.93	-	2.93	9.83	1,334.63	1,465.83	131.19	-93.65
2014-15	1,465.83	8.82	-	8.82	9.33	1,474.65	1,612.23	137.58	805.82
2015-16	1,612.23	19.10	-	19.10	8.64	1,631.33	1,772.28	140.95	237.61
2016-17	1,772.28	3.09	-	3.09	8.00	1,775.37	1,917.40	142.03	71.59
2017-18	1,917.41	7.87	-	7.87	8.10	1,925.27	2,081.22	155.95	116.29
कुल		**563.20**	**-**	**563.20**					

वर्ष 2017-18 के अंत में इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेश का बकाया 1999-2000 में ₹ 164.22 करोड़ से बढ़कर ₹ 563.20 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने 2000-01 से 2017-18 की अवधि के दौरान इक्विटी के रूप में और अधिक निवेश किए। 31 मार्च, 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निधिकृत धनराशि की राशि

[14] वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य-वर्ष के अंत में कुल निवेश।

[15] वर्ष के लिए कुल कमाई उन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निवल आय (लाभ/हानि) का योग दर्शाती है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। यदि किसी वर्ष के दौरान किसी सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे लंबित थे, तो संबंधित सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वर्ष के लिए निवल आय (लाभ/हानि) ली गई है।

₹ 2,081.22 करोड़ हो गई। 2000-01 से 2017-18 के दौरान, वर्ष के लिए कुल आमदनी 1999-2000 से 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2013-14 और 2016-17 से 2017-18 में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निधियों की लागत वसूलने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आय से नीचे रही क्योंकि इस अवधि के दौरान तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को काफी घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त, 1999-2018 की अवधि के दौरान चार अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ को इन चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए गए नुकसान से समायोजित किया गया, जिसके कारण इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से कुल आय न्यूनतम अपेक्षित आय से नीचे रही।

लाभ अर्जित करने वाले तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.), हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम (एच.आर.ई.सी.) और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (हारट्रोन) के द्वारा 2000 से 2018 के मध्य कमाया मुनाफा दर्शाता है कि बाजार में उनकी एकाधिकार स्थिति के कारण ये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम लाभ कमा पाए जैसे एच.एस.आई.आई.डी.सी ने भूमि के आवंटन से जुड़ी गतिविधियों से पर्याप्त आय अर्जित की, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर सरकारी भूमि प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है और यह राज्य की एकमात्र एजेंसी है जिसे संस्थागत उद्देश्यों के लिए भूमि विकसित करने और आवंटित करने का अधिकार है।

4.17 वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान, सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए गए निवेश पर सकारात्मक आय थी, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान वर्षों में राज्य सरकार की निधियों पर आय की क्षेत्रवार तुलना नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.11: राज्य सरकार की निधि पर आय

(₹ करोड़ में)

वर्षवार क्षेत्रवार ब्रेकअप	कुल आय	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ऐतिहासिक लागत पर निवेशित निधि	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार के निवेश पर आय (%)
2014-15					
सामाजिक क्षेत्र	-12.51	86.09	-14.53	291.72	-4.29
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	804.52	409.94	196.25	1,190.67	67.57
अन्य	13.81	37.11	37.21	129.84	10.64
कुल	**805.82**	**533.14**	**151.15**	**1,612.23**	**49.98**
2015-16					
सामाजिक क्षेत्र	-21.95	100.33	-21.88	332.39	-6.60
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	256.98	414.75	61.96	1,298.77	19.79
अन्य	2.58	37.16	6.94	141.12	1.83
कुल	**237.61**	**552.24**	**43.03**	**1,772.28**	**13.41**
2016-17					
सामाजिक क्षेत्र	-65.19	102.49	-63.60	361.32	-18.04
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	136.25	415.68	32.78	1,403.68	9.71
अन्य	0.53	37.16	1.43	152.41	0.35
कुल	**71.59**	**555.33**	**12.89**	**1,917.41**	**3.73**
2017-18					
सामाजिक क्षेत्र	22.01	104.99	20.96	393.29	5.60
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	92.52	416.87	22.19	1,518.66	6.09
अन्य	1.76	41.34	4.26	169.27	1.04
कुल	**116.29**	**563.20**	**20.65**	**2,081.22**	**5.59**

2014-15 में ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय 151.15 प्रतिशत था, यह 2017-18 के दौरान घटकर 20.65 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित आय 49.98 प्रतिशत तथा 5.59 प्रतिशत थी।

निवल मूल्य का क्षरण

4.18 निवल मूल्य का अर्थ भुगतान की गई पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष के कुल योग से संचित घाटा और स्थगित राजस्व व्यय की कुल राशि कम करने के बाद बची शेष राशि से है। वास्तव में, यह इस बात का माप है कि संस्था में मालिकों के लिए उनकी पूंजी का क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा किए गए सकल निवेश को संचित घाटे और स्थगित राजस्व व्यय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूंजी निवेश और घाटे उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार (30 सितंबर 2018 को) क्रमश: ₹ 5,681 करोड़ और ₹ 934.07 करोड़ थे, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य ₹ 1,635.89 करोड़ था। इनका विवरण ***परिशिष्ट-8*** में दिया गया है।

निम्न तालिका 21 कंपनियों की कुल प्रदत्त पूंजी, कुल संचित लाभ/हानि और कुल निवल मूल्य को इंगित करती है, जहां राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष निवेश किया है:

तालिका 4.12: 2013-14 से 2017-18 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य[16]

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	स्थगित राजस्व व्यय	मुक्त संचय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6 (2+3-4+5)
2013-14	555.26	-35.21	2.07	28.86	546.84
2014-15	558.66	709.98	2.85	85.00	1,350.79
2015-16	572.37	830.59	1.06	95.78	1,497.68
2016-17	572.37	770.50	1.06	90.89	1,432.70
2017-18	579.77	923.21	1.01	102.88	1,604.85

जैसा कि देखा जा सकता है, इस अवधि के दौरान इन कंपनियों के निवल मूल्य में वृद्धि हुई। यह 2013-14 में ₹ 546.84 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 1,604.85 करोड़ हो गया। 2013-14 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, 16 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों[17] ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया और 2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों[18] का निवल मूल्य नकारात्मक था। 2014-15 से 2017-18 के दौरान 17 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सकारात्मक

16 संबंधित वर्ष में नवीनतम अंतिम लेखाओं के आंकड़ों के आधार पर परकलित।

17 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड , हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड, हरियाणा वित्तीय निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

18 हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

निवल मूल्य दिखाया जबकि तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य नकारात्मक था। 2013-14 से 2017-18 के दौरान पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य घट गया जबकि इसी अवधि के दौरान 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में वृद्धि हुई और एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के संबंध में यह समान रहा।

लाभांश भुगतान

4.19 राज्य सरकार ने (अक्तूबर 2003) एक लाभांश नीति तैयार की थी, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लाभकारी कंपनियों को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत का भुगतान करना होता है।

इस अवधि के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया था, नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.13: 2013-14 से 2017-18 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ		वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	सा.क्षे.उ. की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2013-14	18	524.32	12	405.45	2	6.89	1.70
2014-15	19	533.14	12	393.46	3	6.25	1.59
2015-16	19	552.24	10	475.18	3	5.64	1.19
2016-17	20	555.33	10	498.85	4	6.85	1.37
2017-18	21	563.20	11	301.13	1	5.00	1.66

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या 10 से 12 के मध्य रही। इसी अवधि के दौरान, जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने हरियाणा सरकार को घोषित/लाभांश प्रदत्त किया उनकी संख्या एक से चार के मध्य रही।

2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात 1.19 और 1.70 के मध्य था। 2017-18 के दौरान एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने लाभांश घोषित किया जो निर्धारित सीमा से अधिक था।

इक्विटी पर आय

4.20 इक्विटी पर आय वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक हैं।

किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गई और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर आय की गणना 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर आय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 4.14: सा.क्षे. के 21 उपक्रम जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, से संबंधित इक्विटी पर आय

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर आय (प्रतिशत में)
2013-14	-93.65	546.84	-
2014-15	805.82	1,350.79	59.66
2015-16	237.61	1,497.68	15.87
2016-17	71.59	1,432.70	5.00
2017-18	116.29	1,604.85	7.25

मार्च 2018 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, निवल आय 2014-15 से 2017-18 के दौरान सकारात्मक थी और इन वर्षों के दौरान इक्विटी पर आय 5.00 प्रतिशत और 59.66 प्रतिशत के मध्य रही। चूंकि 2013-14 के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की निवल आय नकारात्मक थी, इसलिए इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में इक्विटी पर आय को इस अवधि के लिए परिकलित नहीं किया जा सका।

नियोजित पूँजी पर आय

4.21 नियोजित पूंजी पर आय एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिस दक्षता के साथ उसकी पूंजी नियोजित की गई है। नियोजित पूंजी पर आय की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी[19] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी 27 उपक्रमों के नियोजित पूंजी पर आय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.15: नियोजित पूंजी पर आय

वर्ष	ई.बी.आई.टी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर आय (प्रतिशत में)
2013-14	1,331.71	3,401.05	39.16
2014-15	1,958.73	3,619.29	54.12
2015-16	831.19	3,601.11	23.08
2016-17	580.41	3,961.86	14.65
2017-18	756.77	5,681.00	13.32

[19] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े, नवीनतम वर्ष, जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार हैं।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का नियोजित पूंजी पर आय 13.32 प्रतिशत और 54.12 प्रतिशत के मध्य रहा।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.22 सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों का कंपनियों द्वारा भुगतान करने की क्षमता का आकलन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिन्होंने 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋण प्राप्त किया, के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया था। इसका मूल्यांकन ब्याज भुगतान अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज भुगतान अनुपात

4.23 ब्याज भुगतान अनुपात का उपयोग किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। कम अनुपात, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से नीचे का ब्याज भुगतान अनुपात इंगित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज भुगतान अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.16: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ब्याज भुगतान अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले अर्जन (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से अधिक ब्याज भुगतान अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम के ब्याज भुगतान अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2013-14	268.89	349.20	10	7	3
2014-15	543.21	1,682.35	8	4	4
2015-16	438.22	633.21	8	4	4
2016-17	395.77	443.62	6	4	2
2017-18	540.80	720.77	7	5	2

2017-18 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों की देयता वाले सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ब्याज भुगतान अनुपात एक से अधिक था, जबकि शेष दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ब्याज भुगतान अनुपात एक से नीचे था, जो कि यह इंगित करता है कि इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उस अवधि के दौरान ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

ऋण टर्नओवर अनुपात

4.24 पिछले पांच वर्षों के दौरान, इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर में 16.49 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऋण की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 10.12 प्रतिशत रही, जिसके कारण ऋण टर्नओवर का अनुपात 2013-14 में 0.94 से

2017-18 में 0.87 हो गया, जो नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.17: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	2,832.57	2,247.13	2,073.13	2,500.12	4,046.12
टर्नओवर	3,006.57	8,891.35	4,633.78	4,100.32	4,564.52
ऋण टर्नओवर अनुपात	0.94:1	0.25:1	0.45:1	0.61:1	0.87:1

स्रोत: संबंधित सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर संकलित।

इस अवधि के दौरान ऋण-टर्नओवर अनुपात 0.25 और 0.94 के मध्य़ था। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान समग्र संचित घाटा काफी हद तक बढ़ गया, जो मुख्य रूप से हरियाणा बीज विकास निगम के संचित घाटे में वृद्धि का कारण था।

निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करना

4.25 31 मार्च 2018 तक 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से चार निष्क्रिय कंपनियां थी, जिनका कुल निवेश ₹ 22.65 करोड़ पूंजी (₹ 17.98 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 4.67 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 4.18: निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	4	4	4	4	4

स्रोत: संबंधित वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में शामिल जानकारी से संकलित।

दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों[20] की परिसमापन प्रक्रिया 14 से 19 साल पहले शुरू हुई थी और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। चूंकि ये चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय हैं, इसलिए सरकार इन्हें बंद करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

4.26 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान 17 कार्यरत कंपनियों ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को 25 लेखापरीक्षित खाते अग्रेषित किए। इनमें से 13 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित सांविधिक लेखापरीक्षकों और अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

[20] हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

टिप्पणियों के कुल वित्तीय प्रभाव का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 4.19: कार्यरत कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	8	14.66	6	39.15	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-			6	6.19
3.	घाटे में वृद्धि	6	40.16	3	4.48	4	8.56
4.	घाटे में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न होना	6	1,426.81	2	111.17	3	19.44
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	8	188.85	4	49.74	1	10.66

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित।

1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 21 लेखाओं पर योग्य प्रमाण-पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 10 लेखाओं में लेखा मानकों के अनुपालन न होने के 39 उदाहरण उद्धृत किए हैं।

4.27 राज्य में दो सांविधिक निगम हैं (i) हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.) और (ii) हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.)। दोनों ने वर्ष 2016-17 के लिए अपने लेखाओं को 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए अग्रेषित किया, जिसे अंतिम रूप दिया गया है।

दोनों लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2016-17 के लिए एच.एस.डब्ल्यू.सी. के वार्षिक लेखाओं को योग्य प्रमाण-पत्र दिया था तथा एच.एफ.सी. के वार्षिक लेखाओं को अयोग्य प्रमाण-पत्र दिया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और सांविधिक निगमों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के कुल वित्तीय प्रभाव का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	7.49	3	10.71	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	2	2.94
3.	घाटे में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
4.	घाटे में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न होना	2	7.07	2	1.23	-	-
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	2	28.82	2	19.99	-	-

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सी.ए.जी. की टिप्पणियों से संकलित।

अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

4.28 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) की प्रतिवेदन के लिए, संबंधित विभागों के अपर-मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को उत्तर देने के अनुरोध के साथ आठ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद जारी किए गए थे। राज्य सरकार से दो अनुच्छेदों पर उत्तर प्राप्त हुए हैं। इन आठ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 20.47 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

बकाया उत्तर

4.29 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) हैं कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर उसमें शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 4.21: सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 नवंबर 2018 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तारीख	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गैर-विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) और अनुच्छेद		पी.ए./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		पी.ए.	अनुच्छेद	पी.ए.	अनुच्छेद
2014-15	14.03.2016	1	7	1	1
2015-16	27.02.2017	-	5	-	2
2016-17	14.03.2018	1	4	1	3

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक नोटों के आधार पर संकलित।

नवंबर 2018 तक दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं और छः अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक नोट संबंधित चार विभागों के पास लंबित थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा

4.30 30 नवंबर 2018 को कोपू की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रदर्शित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा और पैराग्राफों पर चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 4.22: 30 नवंबर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2014-15	1	7	-	6
2015-16	-	5	-	-
2016-17	1	4	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

2013-14 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) पर चर्चा पूरी हो गई है।

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.31 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित राज्य विधानमंडल को मार्च 2011 और मार्च 2018 के मध्य प्रस्तुत कोपू के आठ प्रतिवेदनों पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे (30 नवंबर 2018), जो नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.23: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू रिपोर्ट का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2010-11	1	8	1 (**पैरा सं.** 8)
2011-12	1	5	2 (**पैरा सं.** 3 **व** 5)
2012-13	1	11	2 (**पैरा सं.** 4 **व** 5)
2013-14	1	7	2 (**पैरा सं.** 5 **व** 6)
2014-15	1	8	2 (**पैरा सं.**4 **व** 5)
2015-16	1	12	4 (**पैरा सं.**1 **से** 4)
2016-17	1	8	-
2017-18	1	15	11 (**पैरा सं.** 8 **से** 10, 14, 15, 18 **से** 23)
कुल	**8**	**74**	**24**

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थीं, जो 2006-07 से 2013-14 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकट हुए थे।